Form No III
फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेडा
मु0 रामनरायन बनाम...रामचरन
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0 टी0 एक्ट0. नम्बर 86 सन 21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/11/21	प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 दफतर से बाद जॉच पेश हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दास्तावेज का अवलोकन किया गया, वकील सायल केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सायलान दिनांक 22.12.2021 तक के लिये जारी की जाकर गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0नं0 2891 स्थित ग्राम महदवार नं. 02 राजाखेडा तहसील राजाखेडा पर दिनांक 22.12.2021 तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग विक्रय नहीं करें। यदि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 22.12.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर पेश करें परवाना वास्ते तामील तहसीलदार राजाखेडा को जारी हो। गैरसायलान को जरिये नाटिस तलव किया जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 22.12.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा	
22/12/21	वकील गाडी गैर हाजिर। पत्रावली पूर्वाज्ञानुसार दि0 03-01-22 को पेश हो।	
03/01/22	पत्रावली पेश हुई। मूलवाद सायल ने खारीज करा लिया है अतः प्रार्थना पत्र उसी स्टेज पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	